

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ आंशिक संशोधित कार्य-विभाजन आदेश ॥

कमांक/ 63/S.W./एक-5-1/2005-24

बड़वानी, दिनांक 26/11/2024

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश कमांक 1351/Confdl/2024/II-3-1/2024, जबलपुर, दिनांक 22.11.2024 के द्वारा जिला मुख्यालय, बड़वानी में न्यायालय सुश्री सौम्या चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी की पदस्थापना की गई है।

अतः मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-10, 194, 381(2) एवं 400 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्व में जारी संशोधन आदेश कमांक 34 दिनांक 12/04/2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-

1/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश कमांक 34 दिनांक 12/04/2024 में कमांक 18 के पश्चात् कमांक 19-“द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी” निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
19	न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी	-	<p>व्यवहार प्रकरण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 2. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।

2/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश कमांक 34 दिनांक 12/04/2024 के “न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश-प्रभार” में अनुक्रमांक 18-“द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी” निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

॥ न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश - प्रभार ॥

निम्न तालिका के कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में कॉलम कमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम कमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम कमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 5 तथा कॉलम कमांक 5 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 6 तथा कॉलम कमांक 6 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम कमांक 7 में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायालय/न्यायालयों का **आवश्यक कार्य** संपादित किया जावेगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	द्वितीय व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	प्र.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वि. व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड

इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(महेन्द्र कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 3081 / एक-5-1/2005-24

बड़वानी, दिनांक 27/11/2024

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार

- 01-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी,
- 02-विशेष न्यायाधीश, बड़वानी,
- 03-प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी,
- 04-प्रथम / द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा,
- 05-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी,
- 06-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / सेंधवा,
- 07-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्या.मजि.प्रथम श्रेणी बड़वानी,
- 08-व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्या.मजि.प्र.श्रेणी, राजपुर / खेतिया / सेंधवा,
- 09-अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर / अंजड़,
- 10-प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी,
- 11-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया,
- 12-प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी,
- 13-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी,

कार्या: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)